संख्या जी–1-176 / दस-99-534 (46) / 76 टी० सी०

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के विषय में जारी किये कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी–1-30333 / दस-534 (46) 76, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 में यह प्राविधान है कि किसी भी सरकारी सेवक को बाह्य सेवा पर 05 वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्थानान्तरित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक बिना शासन की स्वीकृति के 05 वर्ष की अवधि के बाद भी बाह्य सेवा पर बना रहता है तो पांच वर्ष की अवधि के उपरान्त की तिथि से प्रतिनियुक्ति भत्ता या अतिरिक्त लाभ / सुविधा जो उसे सम्बन्धित निगम / उपक्रम आदि द्वारा दी जा रही थी, देय नहीं होगी और उसे केवल वही मूल वेतन अनुमन्य होगा जो वह अपने पैतृक विभाग में पाता।

2—आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक नीति में परिवर्धन / परिमार्जन करने के उद्देश्य से गठित समिति द्वारा यह संस्तुति की गई है कि सरकारी सेवकों के निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं विशिष्ट परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से उक्त अवधि 05 वर्ष बनाये रखी जा सकती है किन्तु 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि को न बढ़ाया जाये।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों को यथावत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृपया अपने अधीन विभागों और कार्यालयों के स्टाफ के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों का विश्लेषण कर लें और उपर्युक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त से समस्त स्टाफ को भी अवगत करा दें।

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या जी–1-176 (1) / दस-99-534 (46) 76 टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2— विधान सभा / परिषद सचिवालय।
3— राज्यपाल सचिवालय।
4— शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव।
5— महालेखाकार I, II, III, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
6— समस्त विभागों के वित्त नियन्त्रक / मुख्य लेखाधिकारियों / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी।
7— निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

डी0एस0बग्गा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक:: 26 मई, 2003

विषय:- सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-98-सी0एम0/47-का-4-1994-20/1/91, दिनांक 31 मार्च, 1994, शासनादेश संख्या-75-सी0एम0/47-का-4-95-1/95, दिनांक 02 मई, 1995, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29-7-2000 एवं शासनादेश/ परिपत्र संख्या-532/पी0एस0एस/02, दिनांक 24 जून, 2002 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

1. अपरिहार्य परिस्थितियों में, अत्यधिक कार्यहित में, उपर्युक्त शासनादेशों में अंकित प्रावधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों को ही सहमति हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय ।

2. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये सरकारी सेवक को 03 वर्ष से पूर्व मूल विभाग में वापस न किया जाय ।

3. 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति अवधि को आगे न बढ़ाया जाय तथा उक्त अवधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों को उनके मूल विभागों को वापस कर दिया जाय ।

2. कृपया उपर्युक्त निदेशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0एस0बग्गा)
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/1/95(1)-1-का-4-2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

आप अवगत है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की किसी दूसरे विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष की होती है एवं इसे विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। परन्तु पांच वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के निर्देश नहीं हैं।

शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गयी है और उन्हें अभी भी प्रतिनियुक्ति पर बनाये रखा गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक है। अतएव इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं जिनका अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय:-

1- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, उन्हें उनके पैतृक विभागों में वापस 30.6.2002 तक कर दिया जाय एवं तत्संबंधी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को 02 जुलाई 2002 तक अवगत कराया जाय।

2- उन मामलों में जिनमें प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष पूरी हो चुकी है परन्तु उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का निर्णय विभागीय स्तर पर ले लिया गया है, उसमें वित्त विभाग की कार्योत्तर सहमति भी अवश्य प्राप्त की जाय।

3- उपरोक्त बिन्दु-2 से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संबंधित विभाग अभी से बना लें और इसकी त्रैमासिक समीक्षा की जाए एवं सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर बने रहने की अनुमति न हो।

मुझे यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त निर्देशों से विचलन का अधिकार सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री जी को होगा।

24.6.2002